न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 105/09 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. गैंदीदेवी बेवाह भैरूसिंह जाति दरोगा (फौत)

2. रणजीत सिंह पुत्र भैरूसिंह जाति दरोगा

3. जवाहरसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति दरोगा

निवासीयान ग्राम नीमराना तह0 बहरोड जिला अलवर

:--- अपीलांट

बनाम

1 शेरसिंह पुत्र दल्लाराम जाति सोनी

2 किरणसिंह पुत्र दल्लाराम जाति सोनी निवासीयान ग्राम नीमराना तहसील बहरोड जिला अलवर

--- असल रेस्पो0

3 राजसिंह पुत्र जगरूप सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम नंगला बलाहीर तहसील बहरोड जिला अलवर

-- तर0 रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर, बहरोड
दिनांक 25.9.09

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री रूडमल सोनी

निर्णय दिनांक – 22.02.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर बहरोड द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 171/06 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

दिनांक 25.9.09 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 936 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा हाल नम्बर 1271 रकबा 58 एयर वाके ग्राम दौलतसिंहपुरा का वादी खातेदार है तथा साबिक खसरा नम्बर 937 रकबा 14 बिस्वा का खातेदार प्रतिवादी असल है । परन्तु बंदोबस्त विभाग ने इस साबिक नम्बर का नया नम्बर 1272 कायम कर इसका रकबा 21 एयर दर्ज कर दिया । जबकि इसका रकबा 18 एयर दर्ज होना चाहिये । यह बढा हुआ रकबा रास्ते का है जिसका उपयोग प्रार्थी वादी करता है । परन्तु प्रतिवादी इस गलत इन्द्राज की आड में आने जाने में रूकावट करता है । अतः उसे पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि प्रार्थी का खसरा नम्बर 1271 का रकबा साबिक रकबे के अनुसार पूरा है । खसरा नम्बर 1272 से उसका कोई लेना देना नहीं है । मैं इसका खातेदार हूं । कानूनन खातेदार के खिलाफ टी0 आई0 जारी नहीं की जा सकती । तहत अदालत ने प्लीडिंग से बाहर जाकर रिलीफ दी है जो कि विधिसम्मत नहीं है । धारा 212 के तीनों बिन्दू मेरे पक्ष में है । फिर भी मेरे खिलाफ टी0 आई0 जारी कर दी । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2006 आर0 आर0 डी0 पेज 31, 2020 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 76, 2003 आर0 आर0 डी0 पेज 431, 2018 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1275 का हवाला दिया ।

4 जवाब में विद्वान वकील प्रार्थी रेस्पो0 असल ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि मेरा खसरा नम्बर 1271 है एवं प्रतिवादी असल रेस्पो0 का 1272 है । खसरा नम्बर 1272 का साबिक के मुकाबले 3 एयर रकबा ज्यादा दर्ज कर दिया । यह बढा हुआ रकबा खसरा नम्बर 1271 और 1272 के बीच में खाली जगह के रूप में स्थित है, जिसका उपयोग प्रार्थी वादी अपने खेत पर आने जाने के लिये करता है । अपीलांट रूकावट पैदा करते हैं । इसलिये इनको सही तौर पर पाबन्द किया गया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । विवादित रकबा की बाबत हक हकूको का निर्धारण मूल वाद में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तय होना है । हम यहां धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश की अपील का निस्तारण कर रहे हैं, जिसके लिये धारा 212 के तीनों बिन्दुओं प्रथमदृष्टतया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति को देखना होता है । तहत पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड एवं नक्था के अवलोकन से सिद्ध है कि खसरा नम्बर 1271 के खातेदार प्रार्थी वादी एवं खसरा नम्बर 1272 के खातेदार प्रतिवादी अपीलांट है । प्रतिवादी अपीलांट का साबिक रकबा के मुकाबले हाल रकबा ज्यादा दर्ज किया गया है । मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार यह बढा हुआ 3 एयर रकबा पर प्रार्थी वादी का कब्जा है और यह रकबा रास्ता के खसरा नम्बर 427 में शामिल होना चाहिये था । प्रार्थी वादी का कब्जा होने तथा अपने खेत पर आने जाने के लिये उपयोग में लेने के कारण उसका प्रथमदृष्टतया मामला बनता है । अगर उसे अपनी काश्त करने के लिये अपने खेते पर आने जाने में रूकावट पैदा की गई तो उसे असुविधा होगी अर्थात सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी वादी के पक्ष में है । ये दोनों बिन्दू प्रार्थी वादी के पक्ष में साबित होने के कारण अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी वादी के पक्ष में साबित है । इस प्रकार ये तीनों प्रार्थी वादी के पक्ष में साबित होने से उसका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट सही तौर पर स्वीकार किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.9.09 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

6

7

(अशोक कुमार सॉंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर